



2026:AHC:54903

इलाहाबाद उच्च न्यायालय,

आपराधिक विविध, धारा 482 के तहत अग्रिम

जमानत आवेदन

बीएनएसएस क्रमांक - 1964/2026

योगेंद्र सिंह

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपरीत

पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: जय किशन, विपिन कुमार

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

: जीए, गौरांग द्विवेदी

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जय किशन, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री गौरांग द्विवेदी, राज्य की ओर से श्री बीपी मौर्य, तमाम विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी गईं एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह आवेदन आईपीसी की धारा 420, 406, 34 के तहत केस क्राइम संख्या 607/2023, पुलिस स्टेशन कोटवाली ओराई, जिला जालौन में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी बताया गया है कि सह-आरोपी श्रीमती आमना खातून और रेशमा खातून के खिलाफ कार्यवाही को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक 29.01.2026 को धारा 528 बीएनएसएस संख्या 1809/2026 के तहत पारित आदेश द्वारा पहले ही स्थगित कर दिया है। यह भी बताया गया है कि इस मामले में आईपीसी की धारा 406 और 420 के तहत अपराधों के लिए आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, जो दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 2248 के मामले में निर्धारित कानून के अनुसार एक साथ मान्य नहीं हो सकते हैं और आवेदक मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यह भी बताया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी निवेदन किया गया कि आवेदक मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और जांच में सहयोग करेगा तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. दूसरी ओर, प्रथम शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है और उन्होंने यह तर्क दिया है कि आवेदक का मामला अलग है और आवेदक को प्रथम शिकायतकर्ता से अपने बैंक खाते में 8,00,000 रुपये प्राप्त हुए हैं।

5. विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत के आवेदन का भी विरोध किया है।

6. सह-आरोपी श्रीमती आमना खातून और रेशमा खातून को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 29.01.2026 को धारा 528 बीएनएसएस संख्या 1809/2026 के तहत पारित आदेश द्वारा पहले ही स्थगित किया जा चुका है। इस मामले में धारा 406 और 420 के तहत अपराधों के लिए आरोपपत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है।

आईपीसी के तहत मामला दर्ज है और आवेदक मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

7. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. इस मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदक की भूमिका और मामले के सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

9. अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है।

10. उपरोक्त मामले में आरोपी योगेंद्र सिंह की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी गई हो;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. यदि इनमें से किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

18 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated version, Not for Legal Use.

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**